155

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016 छतरपुर नि0 - 209 - II/16

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि0 द्वारा आज दि. 20-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-1-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कल्लू पुत्र झण्डी परवतवा काछी
2. कन्नू पुत्र झण्डी परवतवा काछी
निवासी–गुढ़ा रोड, लवकुश नगर,
तहसील– लवकुश नगर,
जिला–छतरपुर

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. गौरीबाई उर्फ सुनीता पुत्री झण्डी परवतवा काछी पत्नी बुद्ध सिंह
2. नारायण पुत्र झण्डी परवतवा काछी
निवासी–गुढ़ा रोड, लवकुश नगर,
तहसील– लवकुश नगर, जिला–
छतरपुर

..... अनावेदकगण

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट) 20/1/16

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी लवकुश छतरपुर के प्र. क्र. 96/अपील/2014–15 आदेश दिनांक 30–12–2015 जिसकी आगामी पेशी दिनांक 02–02–2016 है।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के आधार –

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रकाशन कराकर तीन भाई कल्लू, कन्नू, नारायण के हित में आराजी की कार्यवाही की जिसे पक्षकारों ने समझे बिना की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-209-दो/2016 जिला छतरपुर

कल्लू विरूद्ध गौरीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 96/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता ,1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 05/3/19 सदस्य	